न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— विक्रम नैण पुत्र स्व.श्री भीमसेन जाति जाट निवासी जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य।

———रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :— श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 23.04.2018, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता स्व.भीमसेन के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/2004 डीएम हनुमानगढ बना है, जो कि दिनांक 23.1.2014 तक नवीनीकृत था, जिस पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.02.2018 में मृतक प्रकरण में आवेदक को शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा की है। परन्तु अपीलाधीन आदेशिका दिनांक 23.04.2018 में उल्लेख है कि अपीलार्थी के पिता स्व.श्री भीमसेन की मृत्यु दिनांक 12.07.2015 को हो गई और उनका अनुज्ञा पत्र सं. 04/2004 दिनांक 23.01.2014 तक नवीनीकृत था। इन्हीं आधारों पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई ने बहस में मुख्यतः कथन किया है कि मृतक प्रकरण में अपीलांट ने अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ, उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ व राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर से रिपोर्ट ली गई। उक्त समस्त विभागों के अधिकारियों ने रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने की अनुशंषा की है। बहस में आगे कथन किया कि मृतक प्रकरण में मृतक भीमसेन के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 04/2004 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, हनुमानगढ में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, इसके बाद लोकसभा चुनाव आ गये जिस कारण आचार संहिता लागू होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के संबंध में समस्त कार्य रोक दिये गये। तत्पश्चात् नवीनीकरण प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए ही दिनांक 12.7.2015 को अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। अपीलार्थी के पिता स्व. श्री भीमसेन के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र लोकसभा चुनाव 2014 के समय से पुलिस थाना हनुमानगढ में जमा है। अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर उसका आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। यह अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने से पूर्व नोटिस दिया जाकर उसे सुना चाहिए था, यदि सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वास्तविक तथ्यों से अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करवा दिया जाता । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलांट दिनांक 17.06.2019 को स्वंय के आवेदन पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाहने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के कार्यालय पर गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2018 को ही निरस्त किया जा चुका है, जिसकी नकल उसी दिन आवेदन करने पर दिनांक 19.06.2019 को जारी कर दी गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम से जारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन किया है। जबकि बिना शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये हथियार उत्तराधिकार में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। मृतक प्रकरण में अपीलांट के पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निश्चित समयावधि में नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने यह भी अवगत नहीं करवाया है कि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता क्यों है। अतः व्यापक लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर बिना किसी वजह के अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलांट मियाद बाहर भी प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील देरी से प्रस्तुत की है, जिसके संबंध में अपील मीमो के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में दिये गये कथनों से सहमत होकर विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील सुनवाई की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपीलांट को शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा करने के बावजूद अपीलांट को मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट को नजर अंदाज करते हुए बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 से निरस्त किया है। जबकि राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हैं कि हथियार उत्तराधिकार में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। अपीलांट ने पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का निश्चित समयावधि में नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर बिना किसी वजह के अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

7. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 28.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर